बीस रुपये TWENT (214)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

निगरानी - 4064/2018/सीधी/भू.रा.

श्री अमित भार्गव अधि० द्वारा आज दि० 2.7.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10.7.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2.7.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Abhargava 2-7-18
अमित भार्गव (अधि०)

कौशल प्रसाद पुत्र श्री तिलकधारी पाण्डे, निवासी- ग्राम नकझर तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

1. भोला पुत्र हिन्छलाल,
2. रघुपति पुत्र हिन्छलाल,
3. बृजमोहन पुत्र हिन्छलाल,
4. वृहस्पति पुत्र हिन्छलाल,
5. विजय पुत्र हिन्छलाल,
6. अजय पुत्र रघुपति,
7. अनिल पुत्र रघुपति,
8. सुनील पुत्र सत्यनारायण,
9. पुष्पराज पुत्र अंजनी,
10. मयंक पुत्र मनमोहन,
11. विमलेश पुत्र मनमोहन,
12. छठिलाल पुत्र बृहस्पति,
13. आनन्द पुत्र बृहस्पति,
14. संजीव पुत्र बृजमोहन, समस्त निवासीगण- ग्राम नकझर तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.)
15. सरपंच ग्राम पंचायल क्षेत्र नकझर तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.)
16. म.प्र. शासन
17. लक्ष्मण प्रसाद पण्डे पुत्र श्री स्व. तिलकधारी राम, निवासी- ग्राम नकझर तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.)
18. राजकुमार सिंह गोंड पुत्र श्री मोहर सिंहगोंड, निवासी- ग्राम नकझर तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.)

--अनावेदकगण

(2)

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला सीधी म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/अपील/2016-17 में पारित आदेश पारित दिनांक 16/05/2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः</u>

1. यहकि, ग्राम नकझर तहसील बहरी जिला सीधी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1205, 1206, 1207 एवं 1208 की भूमियों से लगकर सन् 2007-08 में लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड़ का निर्माण कर डामरीकरण किया गया था। इस रोड़ का निरंतर आवेदक एवं अनावेदकगण उपयोग एवं उपभोग करके चले आ रहे है।

2. यहकि, सरपंच ग्राम पंचायत नकझर खुर्द द्वारा विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष वाजिब उल अर्ज दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अ-74/2016-17 द्वारा उपर्युक्त भूमियों के सीमांकन किया जाकर एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रचलित आम रास्ता बना हुआ पाया गया। तदानुसार अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा उपर्युक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर आदेश दिनांक 14/06/2017 द्वारा रास्ते के रूप मे वाजिब उल अर्ज दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया।

3. यहकि, इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण क्रमांक 1 लगायत 14 द्वारा द्वारा अपर कलेक्टर महोदय के समक्ष विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील की गयी। विद्वान अपर कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–4064/2018/सीधी/भू.रा.

कौशल प्रसाद विरूद्ध भोला हिन्छलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–02–2019	आवेदक की ओर से श्री अमित भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला–सीधी के प्रकरण क्रमांक 43/अपील/2016–2017 में पारित आदेश दिनांक 16–05–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18–4–2019 को आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	